



## **Junior Fellowships to Outstanding Persons in the Field of Culture** **(For the year 2018-19)**



### **ONLY ON-LINE APPLICATIONS WILL BE ENTERTAINED**

Please go through the **Scheme** and **Instructions** carefully before filling up the Application Form.

1. **CCRT under the** Ministry of Culture invites **on-line** applications from Indian Nationals for the award of Junior Fellowships to Outstanding Persons in the field of Culture for **the year 2018-19**. These Fellowships are awarded for undertaking research oriented projects. While both the academic research and performance related research are encouraged, the applicant should provide evidence of his/her capabilities in undertaking the project. It may be noted that these Fellowships are **not** intended for providing training, conducting workshops, seminars or documenting memoirs or writing autobiographies, fiction, etc. It is **not** a monthly remuneration/stipend or pension to the artistes, but a project-based award.
2. 200 Junior Fellowships **for the financial year 2018-19** having a value of Rs. 10,000/- per month for artistes in the age group of 25- 40 years will be awarded for a maximum period of two years. Hence applications are invited for 200 Fellowships (Two Hundred).
3. Age will be reckoned as on **1<sup>st</sup> April, 2018 for the year 2018-19**.
4. **16 October, 2018** is the last date for receipt of applications online.
5. An applicant for the Junior Fellowship should never have availed of Junior Fellowship in any of the fields **earlier**.
6. Graduation is the minimum educational qualification for applicants in the fields/areas listed in para II (b) of the Scheme (but not for the fields/areas listed in para II (a) of the Scheme).

### **Application Procedure**

7. **Applications will be accepted online only**. Please read the instructions carefully before filling up the online form. In case, where final and six monthly Project Reports are proposed to be submitted in a language other than **English/Hindi**, the applicants may give the 500 - words project synopsis in **English/Hindi** translation or send a print out of the application form along with project synopsis in the chosen language, to the **Director, CCRT, 15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075**
8. Each successful application will be allotted a unique enrollment number by the system. Candidates may refer to this number in all their future correspondence with the **CCRT and/or Ministry of Culture, Govt. of India**.
9. Applicants are advised to keep a print-out of the filled in application form which they will be required to bring at the time of interview/**personal** talk, along with their detailed project proposal. Other

documents that the candidates will have to bring at the time of interview/**personal** talk will be separately notified to the shortlisted candidates.

10. Applicant can access his/her application by quoting his/her enrolment number or his/her name and view or print the details of the application. It may be noted that applicants will not get any further opportunity to edit the details after submitting the application form.

11. At the time of interview, the shortlisted applicants who are employed must also bring a **NOC/Consent Letter** from their employer.

12. If the applicants are employed in the Central/State Government Departments/Institutions/Undertaking/University, etc., they will have to take leave for a period of two years, if selected, for the grant of Fellowship. At the time of interview, they should also submit a written assurance from their Head of the Department/Institution/Undertaking/ University, etc. that in case the Fellowship is sanctioned, the candidate would be granted leave for the duration of the Fellowship. The first instalment of Fellowship amount will be released on production of proof of leave sanctioned, in addition to fulfillment of other conditions as applicable.

**13. In case of any technical difficulties in submission of application on-line please contact NIC Cell, M/o Culture through mail at [nic-culture@nic.in](mailto:nic-culture@nic.in). In case of any query related to eligibility, etc., please contact CCRT, through email at [fellowship.ccrtnic.in](mailto:fellowship.ccrtnic.in) or on Telephone Number **011-25309352, 25309348, 25309334**.**

#### **Selection Procedure & Responsibilities of the Selected Fellows**

14. Incomplete applications **in any respect** will be rejected summarily.

15. An Expert-Committee comprising experts in different fields constituted by the Ministry of Culture, Government of India, will evaluate all the applicants on the basis of their applications and project proposals; and shortlist the most meritorious among them. Shortlisted candidates for Junior Fellowship will be called for an interview/personal talk by the **Expert Committee** which will select a maximum of 200 candidates for the award of Junior Fellowships, **for the financial year(2018-19)** in different fields/areas taken together. **The total number of Junior Fellowship for the year 2018-19 is 200.**

16. All the shortlisted candidates will be informed about the date and venue of the interview/personal talk on the email address provided by them in their application. **The candidates are required to remember their e-mail, password and Project Title.**

17. The names of the candidates finally selected for the award of Junior Fellowship under this Scheme will be posted on the website of **CCRT & Ministry of Culture** after the selection process is completed and the selection is approved by the Ministry of Culture.

18. The list of selected candidates will be posted on **CCRT's website [www.ccrtnic.in](http://www.ccrtnic.in). & Ministry of Culture website [www.indiaculture.nic.in](http://www.indiaculture.nic.in).**

19. If a candidate who is awarded Fellowship is found ineligible for it at any later stage, the Fellowship so awarded to him/her will be cancelled **& money released to him/her will be recovered.**

20. The awardees will submit six-monthly progress reports. In cases where such reports are not received on time, further releases of the Fellowship amount **will be withheld.**

21. The selected candidates will have to undertake academic or application oriented research work on projects for which they have been awarded the Fellowship. They will complete their projects within two years and submit the same to **CCRT/Ministry of Culture.** Extension of time for a maximum of three months will be permissible with the approval of Ministry of Culture and without any additional financial liability to the Government.

22. A mid-term review/assessment of the progress in each case will be carried out after one year and further continuance of Fellowship will depend on such review/ assessment.

23. **In the event of any legal dispute/proceedings concerning this project/scheme takes place, the matter will be dealt within the jurisdiction of Delhi High Court only.**

All awards sanctioned under the Scheme shall be disbursed **at present** by the **Ministry of Culture, Govt. of India** directly to the Awardee(s).

**Note: Ministry of Culture (MoC) reserves the right to reject/ select the applications on the basis of screening and evaluations.**



## संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (वर्ष 2018-19)



### केवल ऑन-लाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे

आवेदन-पत्र भरने से पूर्व कृपया योजना और निर्देशों को ध्यान रखें :

1. संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत सीसीआरटी संस्कृति के क्षेत्र में वर्ष 2018-19 के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह अध्येतावृत्ति अनुसंधान-उन्मुख परियोजना के लिए दी जाती है। चूँकि शैक्षिक अनुसंधान और प्रदर्शन संबंधी अनुसंधान दोनों को ही प्रोत्साहित किया जाता है इसलिए अभ्यर्थी को अपनी परियोजना को पूरी करने की क्षमता का साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये अध्येतावृत्तियां प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, कार्यशालाओं का आयोजन करने, परिसंवाद या दस्तावेजी संस्मरण अथवा आत्मकथा, कल्पित-कथा लिखना, आदि के लिए नहीं हैं। यह कलाकारों के लिए एक मासिक पारिश्रमिक/वृत्तिका या पेंशन नहीं है, बल्कि परियोजना के आधार पर देय है।
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 200 कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां जिनका मूल्य रु. 10,000/- प्रतिमाह है, उन कलाकारों को प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 25-40 वर्ष के बीच है और यह अधिकतम दो वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। अतः 200 (दो सौ) अध्येतावृत्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।
3. आयु सीमा 01 अप्रैल, 2018 की जन्म तिथि, योजना की अधिकतम आयु सीमा के लिए मान्य होगी।
4. ऑन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 16 अक्टूबर, 2018 है।
5. कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए अभ्यर्थी ने पूर्व में किसी भी क्षेत्र में कनिष्ठ अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं प्राप्त किया हो।
6. योजना के पैराग्राफ -II (बी) में दर्शाए गए सूचीबद्ध क्षेत्रों में आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है (परन्तु योजना के पैराग्राफ -II (ए) में दर्शाए सूचीबद्ध क्षेत्रों के लिए नहीं)।
7. **आवेदन की प्रक्रिया**  
आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। कृपया ऑन लाइन फार्म भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि अन्तिम और छमाही परियोजना रिपोर्ट अंग्रेजी/हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा में प्रस्तुत करनी है तो आवेदक परियोजना का सारांश 500 शब्दों में अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद में दे सकता है या आवेदन फार्म का प्रिंट आउट अपनी चयनित भाषा में परियोजना सारांश के साथ निदेशक, सीसीआरटी, 15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को भेज सकते हैं।
8. प्रत्येक सफल आवेदक को सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट नामांकन संख्या आबंटित की जाएगी। अभ्यर्थी भविष्य में सीसीआरटी या संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार करते समय उक्त संख्या का उल्लेख हमेशा करें।

9. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास भरे हुए आवेदन फार्म का एक प्रिंट आउट रखें क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के समय इसे लाने की आवश्यकता होगी। अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी को साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के समय लाने होंगे, वह शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अलग से अधिसूचित कर दिए जाएंगे।
10. आवेदक अपनी नामांकन संख्या अथवा अपना नाम उद्धृत करके आवेदन के विवरण देख सकता है अथवा प्रिंट कर सकता है। यह ध्यान में रखा जाए कि आवेदकों को आवेदन-पत्र जमा करने के बाद विवरण को संपादित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।
11. साक्षात्कार के समय, शार्टलिस्ट किए हुए आवेदकों में से वे आवेदक जो कहीं कार्यरत हैं, अपने संबंधित अधिकारी (नियोक्ता) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.)/सहमति-पत्र भी साथ लेकर आएँ।
12. यदि आवेदक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों आदि में नियुक्त हैं तो उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के लिए चयनित होने पर दो वर्ष की अवधि के लिए अवकाश लेना होगा। साक्षात्कार के समय, उन्हें अपने विभागाध्यक्ष/संस्थान/उपक्रम/विश्वविद्यालय आदि से इस आशय का एक लिखित आश्वासन भी सौंपना होगा कि अध्येतावृत्ति स्वीकृत होने की दशा में, वे अभ्यर्थी को अध्येतावृत्ति की राशि प्राप्त होने की अवधि में अवकाश प्रदान कर देंगे। अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए लागू अन्य शर्तों के अतिरिक्त उन्हें अवकाश स्वीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें अध्येतावृत्ति अनुदान की पहली किश्त प्रदान की जाएगी।
13. ऑन-लाइन आवेदन जमा करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई आने पर कृपया एन आई सी सेल, संस्कृति मंत्रालय (NIC cell, Ministry of Culture) से [nic-culture@nic.in](mailto:nic-culture@nic.in) के जरिए मेल पर संपर्क करें। किसी भी जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें [fellowship.ccr@nic.in](mailto:fellowship.ccr@nic.in) ई-मेल करके अथवा दूरभाष नम्बर 011-25309352, 25309348, 25309334 पर, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।

### **चयन-प्रक्रिया और चयनित अध्येताओं की जिम्मेदारियाँ**

14. किसी भी रूप से अपूर्ण आवेदन-पत्रों अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
15. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ-समिति सभी आवेदकों के आवेदनों और परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और उनमें से सबसे मेधावी आवेदकों को छाँटेगी। कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ-समिति द्वारा एक साक्षात्कार/ व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जाएगा जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में से कुल मिलाकर कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए अधिकतम 200 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। वर्ष 2018-19 के लिए जूनियर फेलोशिप की कुल संख्या 200 है।
16. सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के लिए तिथि और स्थान के बारे में उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दिए गए ई-मेल पर सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना ई-मेल, पासवर्ड और परियोजना शीर्षक याद रखना आवश्यक है।

17. इस योजना के अन्तर्गत कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों के नाम चयन प्रक्रिया पूरी होने और संस्कृति मंत्रालय द्वारा चयन का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् सीसीआरटी और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
18. साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) की वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट [www.indiaculture.nic.in](http://www.indiaculture.nic.in) पर उपलब्ध होंगी।
19. यदि कोई अभ्यर्थी जिसे अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, बाद में इसके लिए किसी भी प्रकार से अयोग्य पाया जाता है तो उसे प्रदान की गई अध्येतावृत्ति रद्द कर दी जाएगी और उसे दी गई राशि उससे वसूली जाएगी।
20. अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, अध्येतावृत्ति की आगे दी जाने वाली राशि स्वीकृत ही नहीं की जाएगी।
21. चयनित अभ्यर्थियों को उन परियोजनाओं जिनके लिए उन्हें अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, के लिए अकादमिक अथवा आवेदन-उन्मुखी अनुसंधान कार्य करने का दायित्व लेना होगा। वे अपनी परियोजनाएं दो वर्षों के भीतर पूरी करेंगे और उन्हें सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं संस्कृति मंत्रालय को सौंपेंगे। विशेष कारणों/परिस्थितियों के विचाराधीन संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से अधिकतम तीन माह की समयावधि आवेदन प्राप्त होने पर बढ़ाई जा सकेगी पर इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय देयता नहीं होगी।
22. प्रत्येक मामले में एक वर्ष के पश्चात् मध्यावधि पुनः निरीक्षण/ प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और अध्येतावृत्ति का आगे जारी रहना ऐसे पुनः निरीक्षण / पुनरावलोकन पर निर्भर करेगा।
23. यदि इस परियोजना से संबंधित किसी मामले में कानूनी विवाद / कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो मामले पर केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अनुसार कार्रवाई मान्य होगी।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अध्येतावृत्तियाँ (राशि) वर्तमान में अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को सीधे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

**टिप्पणी :** आवेदन-पत्रों की जाँच और मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकार करने/चयन करने का अधिकार संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।



## **Senior Fellowships to Outstanding Persons in the Field of Culture** **(For the year 2018-19)**



### **ONLY ON-LINE APPLICATIONS WILL BE ENTERTAINED**

Please go through the **Scheme** and **Instructions** carefully before filling up the Application Form.

1. **CCRT under the** Ministry of Culture invites **on-line** applications from Indian nationals for the award of Senior Fellowships to Outstanding Persons in the field of Culture for the **year 2018-19**. These Fellowships are awarded for undertaking research oriented projects. While both the academic research and performance related research are encouraged, the applicant should provide evidence of his/her capabilities in undertaking the project. It may be noted that these Fellowships are **not** intended for providing training, conducting workshops, seminars or documenting memoirs or writing autobiographies, fiction, etc. It is **not** a monthly remuneration/stipend or pension to the artistes, but a project-based award.
2. 200 Senior Fellowships **for the financial year 2018-19** having a value of Rs. 20,000/- per month for artistes in the age group of above 40 years, will be awarded for a maximum period of two years. The total numbers of Fellowships are 200 (Two Hundred).
3. Age will be reckoned as on **1<sup>st</sup> April, 2018 for the year 2018-19**
4. **16 October, 2018** is the last date for receipt of applications on-line.
5. Applicant for Senior Fellowship should not be a recipient of artiste pension from **the Ministry of Culture** under the scheme for the grant of financial assistance to artistes in indigent circumstances. The applicant should never have availed of the Senior Fellowship in any of the fields **earlier**. However, an applicant who had been awarded a Junior Fellowship can apply for a Senior Fellowship, provided 5 years have elapsed after the closure of the earlier project.
6. Graduation is the minimum educational qualification for applicants in the fields/areas listed in para II (b) of the Scheme (but not for the fields/areas listed in para II (a) of the Scheme).

### **Application Procedure**

7. **Applications will be accepted online only.** Please read the instructions carefully before filling up the online form. In case, where final and six monthly Project Reports are proposed to be submitted in a language other than **English/Hindi**, the applicants may give the 500 - words project synopsis in **English/Hindi** translation or send a print out of the application form along with project synopsis in the chosen language, to the **Director, CCRT, 15A, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075**
8. Each successful application will be allotted a unique enrollment number by the system. Candidate may refer to the number in their future correspondence with the **CCRT or Ministry of Culture, Govt. of India.**

9. Applicants are advised to keep a print-out of the filled in application form, which they will be required to send to the **CCRT** once they get shortlisted. Detailed project proposal and other documents that the candidates have to send will be notified separately to the shortlisted candidates.

10. Applicant can access his/her application by quoting his/her enrolment number or his/her name and view or print the details of the application. It may be noted that applicants will not get any further opportunity to edit the details after submitting the application form.

11. While sending hard copy of their application, the shortlisted applicants who are employed must also send a **NOC/Consent Letter from** their employer.

12. If the applicants are employed in the Central/State Government Departments/Institutions/Undertaking/University, etc., they will have to take leave for a period of two years, if selected for the grant of Fellowship. While sending hard copy of their application, they should also send a written assurance from their Head of the Department/Institution/Undertaking/ University, etc. that in case the Fellowship is sanctioned, the candidate would be granted leave for the duration of the Fellowship. The first installment of Fellowship amount will be released on production of proof of leave sanctioned, in addition to fulfillment of other conditions as applicable.

**13. In case of any technical difficulties in submission of application on-line please contact, NIC Cell, M/o Culture through mail at [nic-culture@nic.in](mailto:nic-culture@nic.in). In case of any query related to eligibility, etc., please contact **CCRT**, through email at [fellowship.ccrt@nic.in](mailto:fellowship.ccrt@nic.in) or on Telephone Number **011-25309352, 25309348, 25309334.****

#### **Selection Procedure & Responsibilities of the Selected Fellows.**

14. Incomplete applications **in any respect** will be rejected summarily.

15. An Expert-Committee comprising experts in different fields constituted by the Ministry of Culture, Government of India, would evaluate all the applicants on the basis of their applications and project proposals; and shortlist the most meritorious among them. Candidates shortlisted for Senior Fellowship will be asked to submit a hard copy of their application with all the required documents, based on which the **Expert Committee** will select a maximum of 200 candidates **for the financial year** for the award of Senior Fellowship(s), in different fields/areas taken together. The total number of Senior Fellowship **for the year 2018-19 is 200.**

16. All the shortlisted candidates will be informed of the documentary requirements on the e-mail address provided by them in their application(s). **The candidate(s) are required to remember their e-mail ID and respective password.**

17. The names of the candidates finally selected for the award of Senior Fellowship under this Scheme will be posted on the websites of **CCRT & Ministry of Culture**, after the selection process is completed and the selection is approved by the Ministry of Culture.



18. The list of selected candidates will be posted on CCRT's website [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in). & Ministry of Culture website [www.indiaculture.nic.in](http://www.indiaculture.nic.in)

19. If a candidate who is awarded Fellowship is found ineligible for it at any later stage, the Fellowship so awarded to him/her will be cancelled **& money will also be recovered.**

20. The awardees will submit six-monthly progress reports. In cases where such reports are not received on time, further releases of the Fellowship amount **will be withheld.**

21. The selected candidates will have to undertake academic or application oriented research work on projects for which they have been awarded the Fellowship. They will complete their projects within two years and submit the same to CCRT/Ministry of Culture. Extension of time for a maximum of three months will be permissible with the approval of the Ministry of Culture and without any additional financial liability to the Government.

22. A mid-term review/assessment of the progress in each case will be carried out after one year and further continuance of Fellowship will depend on such review/ assessment.

23. **In the event of any legal dispute/proceedings concerning this project/scheme takes place, the matter will be dealt within the jurisdiction of Delhi High Court only.**

All awards sanctioned under the Scheme shall be disbursed **at present** by the **Ministry of Culture, Govt. of India** directly to the Awardee(s).

**Note: Ministry of Culture (MoC) reserves the right to reject/ select the applications on the basis of screening and evaluations.**



## संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु वरिष्ठ अध्येतावृत्ति (वर्ष 2018-19)



### केवल ऑन-लाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे

आवेदन-पत्र भरने से पूर्व कृपया योजना और निर्देशों को ध्यान रखें :

1. संस्कृति मंत्रालय के अन्तर्गत सीसीआरटी संस्कृति के क्षेत्र में वर्ष 2018-19 के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ अध्येतावृत्ति हेतु भारतीय नागरिकों से ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित करता है। यह अध्येतावृत्ति अनुसंधान-उन्मुख परियोजना के लिए दी जाती है। चूँकि शैक्षिक अनुसंधान और प्रदर्शन संबंधी अनुसंधान दोनों को ही प्रोत्साहित किया जाता है इसलिए अभ्यर्थी को अपनी परियोजना को पूरी करने की क्षमता का साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ये अध्येतावृत्तियां प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, कार्यशालाओं का आयोजन करने, परिसंवाद या दस्तावेजी संस्मरण अथवा आत्मकथा, कल्पित-कथा लिखना, आदि के लिए नहीं हैं। यह कलाकारों के लिए एक मासिक पारिश्रमिक/वृत्तिका या पेंशन नहीं है, बल्कि परियोजना के आधार पर देय है।
2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 200 वरिष्ठ अध्येतावृत्तियां जिनका मूल्य रु. 20,000/- प्रतिमाह है, उन कलाकारों को प्रदान की जाएंगी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और यह अधिकतम दो वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी। कुल 200 (दो सौ) अध्येतावृत्तियों हेतु आवेदन आमंत्रित है।
3. **आयु सीमा** वर्ष 2018-19 के लिए 01 अप्रैल, 2018 की जन्म तिथि, योजना की अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी।
4. ऑन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 16 अक्टूबर, 2018 है।
5. वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदक के संस्कृति मंत्रालय द्वारा असहाय परिस्थितियों में कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत कलाकार पेंशन प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी क्षेत्र में पहले वरिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त न की गई हो। तथापि एक अभ्यर्थी जिसने पहले कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त की है वह वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते पहली परियोजना के समाप्त होने के बाद 5 वर्ष का अन्तराल हो गया हो।
6. योजना के पैराग्राफ -II (बी) में दर्शाए गए सूचीबद्ध क्षेत्रों में आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है (परन्तु योजना के पैराग्राफ -II (ए) में दर्शाए सूचीबद्ध क्षेत्रों के लिए नहीं)।
7. **आवेदन की प्रक्रिया**  
आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। कृपया ऑन लाइन फार्म भरने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि अन्तिम और छमाही परियोजना रिपोर्ट अंग्रेजी/हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा में प्रस्तुत करनी है तो आवेदक परियोजना का सारांश 500 शब्दों में अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद में दे सकता है या आवेदन फार्म का प्रिंट आउट अपनी चयनित भाषा में परियोजना सारांश के साथ निदेशक, सीसीआरटी, 15ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को भेज सकते हैं।
8. प्रत्येक सफल आवेदक को सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट नामांकन संख्या आबंटित की जाएगी। अभ्यर्थी भविष्य में सीसीआरटी या संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार करते समय उक्त संख्या का उल्लेख हमेशा करें।

9. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भरे हुए आवेदन फार्म का एक प्रिन्ट आउट अपने पास रखें, जो उन्हें उनके शार्टलिस्ट हो जाने के पश्चात् सीसीआरटी को भेजना होगा। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज, जो अभ्यर्थी को विचारणार्थ भेजने होंगे, वे शार्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थियों को अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
10. आवेदक अपनी नामांकन संख्या अथवा अपना नाम उद्धृत करके आवेदन का उपयोग कर सकता है और आवेदन के विवरण देख सकता है अथवा प्रिंट कर सकता है। यह ध्यान में रखा जाए कि आवेदकों को आवेदन-पत्र जमा करने के बाद विवरण को संपादित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।
11. अपने आवेदन की हार्ड कॉपी भेजते समय शार्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थी को अपने संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) / सहमति पत्र भेजना होगा।
12. यदि आवेदक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों आदि में नियुक्त हैं तो उन्हें अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) के लिए चयनित होने पर दो वर्ष की अवधि के लिए अवकाश लेना होगा। साक्षात्कार के समय, उन्हें अपने विभागाध्यक्ष/संस्थान/उपक्रम/विश्वविद्यालय आदि से इस आशय का एक लिखित आश्वासन भी सौंपना होगा कि अध्येतावृत्ति चयनित / स्वीकृत होने की दशा में, वे अभ्यर्थी को अध्येतावृत्ति की राशि प्राप्त होने की अवधि में अवकाश प्रदान कर देंगे। अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए लागू अन्य शर्तों के अतिरिक्त उन्हें अवकाश स्वीकृत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें अध्येतावृत्ति अनुदान की पहली किस्त प्रदान की जाएगी।
13. ऑन-लाइन आवेदन जमा करने में किसी भी तकनीकी कठिनाई आने पर कृपया एन आई सी सेल, संस्कृति मंत्रालय (NIC cell, Ministry of Culture) से [nic-culture@nic.in](mailto:nic-culture@nic.in) के जरिए मेल पर संपर्क करें। किसी भी जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें [fellowship.ccr@nic.in](mailto:fellowship.ccr@nic.in) ई-मेल करके अथवा दूरभाष नम्बर 011-25309352, 25309348, 25309334 पर, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।

### चयन-प्रक्रिया और चयनित अध्येताओं की जिम्मेदारियाँ

14. किसी भी रूप से अपूर्ण आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
15. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ-समिति सभी आवेदकों के आवेदनों और परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और उनमें से योजना के अनुरूप आवेदकों को छाँटेगी। सीनियर फेलोशिप के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को विस्तृत परियोजना प्रस्तावों को डाक द्वारा सीसीआरटी, नई दिल्ली में जमा करना होगा। विस्तृत परियोजना प्रस्तावों का निरीक्षण विशेषज्ञ-समिति द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में से कुल मिलाकर सीनियर फेलोशिप के लिए अधिकतम 200 अभ्यर्थियों का चयन करेगी। वर्ष 2018-19 के लिए सीनियर फेलोशिप की कुल संख्या 200 है।
16. सभी शॉर्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दिए गए ई-मेल पर दस्तावेजी आवश्यकताओं के बारे में सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने ई-मेल आइडी और संबंधित संकेत-शब्द (पासवर्ड) याद रखना आवश्यक है।

17. इस योजना के अन्तर्गत सीनियर अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों के नाम चयन-प्रक्रिया पूरी होने और संस्कृति मंत्रालय द्वारा चयन का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् सीसीआरटी और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
18. चयनित किए गए अभ्यर्थियों की सूची सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) की वेबसाइट [www.ccrindia.gov.in](http://www.ccrindia.gov.in) पर और संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट [www.indiaculture.nic.in](http://www.indiaculture.nic.in) पर उपलब्ध होगी।
19. यदि कोई अभ्यर्थी जिसे अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, बाद में इसके लिए किसी भी प्रकार से अयोग्य पाया जाता है तो उसे प्रदान की गई अध्येतावृत्ति रद्द कर दी जाएगी और उसे दी गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।
20. अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में जिनमें समय पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, अध्येतावृत्ति की आगे दी जाने वाली राशि स्वीकृत ही नहीं की जाएगी।
21. चयनित अभ्यर्थियों को उन परियोजनाओं जिनके लिए उन्हें अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, के लिए अकादमिक अथवा आवेदन-उन्मुखी अनुसंधान कार्य करने का दायित्व लेना होगा। वे अपनी परियोजनाएं दो वर्षों के भीतर पूरी करेंगे और उन्हें सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं संस्कृति मंत्रालय को सौंपेंगे। विशेष कारणों /परिस्थितियों के विचाराधीन संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से अधिकतम तीन माह की समयावधि आवेदन प्राप्त होने पर बढ़ाई जा सकेगी पर इसके लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय देयता नहीं होगी।
22. प्रत्येक मामले में एक वर्ष के पश्चात् मध्यावधि पुनःनिरीक्षण/ प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और अध्येतावृत्ति का आगे जारी रहना ऐसे पुनःनिरीक्षण / पुनरावलोकन पर निर्भर करेगा।
23. यदि इस परियोजना से संबंधित किसी मामले में कानूनी विवाद / कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो मामले पर केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अनुसार कार्रवाई मान्य होगी।

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अध्येतावृत्तियाँ (राशि) वर्तमान में अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं को सीधे संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

**टिप्पणी :** आवेदन-पत्रों की जाँच और मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकार करने/चयन करने का अधिकार संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।